Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

भारत में विपक्ष

Ashish Kumar*

Ph.D., PGT, GSSS Mohari Bhano Kheri, Ambala

शोध-सार – *वर्तमान समय लोकतान्त्रिक प्रणाली का समय है। लोकतंत्र में राजनी राजनैतिक दलो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्व है। कोई भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था राजनीतिक दल रूपी पहियों के ऊपर ही गतिमान होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में तो राजनीतिक दलों का महत्व ओर अधिक बढ़ गया है। राजनीतिक दलों का निर्माण मानव स्वभाव के अनुसार होता है क्योंकि एक ही समस्या पर भिन्न-भिन्न व्याक्तियों के भिन्न- भिन्न मत होते है। लोकतान्त्रिक प्रणाली में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्व पूर्ण होती है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष के बिना लोकतान्त्रिक संस्थाएँ एक इंच भी नहीं सरक सकती। अतः विपक्ष के बिना कोई भी शासन व्यवस्था अधूरी है। मेरे इस शोध-पत्र का उद्येश्य भारत में विपक्ष का उदय और उसकी भूमिका को जानने का है।*

मूख्य शब्द:- *विपक्ष, कांग्रेस, लोकतंत्र*

----------X----------

विपक्ष का इतिहास:-

विपक्ष दल की अवधारणा का जन्म इगलैंड में हुआ वास्तव में लोकतंत्र का जन्म ही संघर्ष से हुआ। राजा के निरंकुश शासन के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों को लेकर जो लडाई लड़ी उसी संघर्ष के परिणामस्वरूप लोकतंत्र को जन्म और विकास हुआ। 1688 की क्रांन्ति के बाद विपक्ष की संकल्पना बहुत अधिक मजबूत हो गई। सताधारी दल और उसका विरोध करने वाला विपक्षी दल दोनों राजा के वफादार माने लगे, इसीलिए यह कहा जाने लगा कि महामहिम (राजा-रानी) को जितनी आवश्यकता राजभक्त सरकार ही है, उसनी ही राजभक्त विपक्ष की भी है। ऐसे ही अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाएँ जैसे कि फ्रांस-अमेरिका में भी विपक्ष का विकास हुआ।

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका

लोकतंत्र में विपक्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र की जो आधारभूत मान्यताएँ है वो विपक्ष के बिना सत्यापित नहीं हो सकती जैसे सरकार की अनियन्त्रित शक्ति के ऊपर अकुंश लगाना, जनता के अधिकार व माँगों को पूरा करवाना विधि के शासन की स्थापना करना और स्वस्थ लोकतंत्र को बनाने में विपक्ष की भमिका बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ तो विपक्ष का काम जनता के बीच जनसभाएं करके सरकार की खामियों को उजागर करना होता है तो दूसरी तरफ सदन के अन्दर सतापक्ष को जनहित में कानून बनाने के लिए विवश करना होता है। मोरारजी देसाई ने तो यहाँ तक कहा है कि जो दल विपक्ष में होता है, उन्हे एक निश्चित भूमिका विभानी चाहिए। संसद तथा विधानसभाओं में विपक्ष के कार्य करने के भी वही उद्येश्य और परम्पराएँ होती हैं जोकि सतारूढ़ी दल की होती है।

भारत में विपक्ष:-

भारत में भी लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जिसमें विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में विपक्ष की शुरूआत अग्रेंजी शासन के दौरान हुई। जब भारत में अग्रेंजी शासन के दौरान हुई। जब भारत में अग्रेंजी एक्टो के माध्यम से शासन चलाया जाता था। तब छोटे-छोटे संगठन जनता की आवाज उठाकर विपक्ष की भूमिका निभाते थे। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बाम्बे एसोशिएसन, मद्रास महाजन सभा आदि जिनमें मुख्य हस्तियाँ दादा भाई नारौजी, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, तैयब जी आदि थे, जो समय-समय पर भारत की समस्याओं कीक चर्चा करते थे और ऊँचे भाषण देकर सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की ओर दिलाते थे। इसके बाद काग्रेस का गठन हुआ जिसके बाद अन्य संस्थाओं की भूमिका गौण हो गई और काग्रेस ही एक ऐसा अल बन गया जिसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था।

www.ignited.in

उसने अग्रेंजी सरकार की हर गलत नीति का विरोध किया। शुरूआत में तो काग्रेंस ने सरकार की आलोचना के लिए ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया, ज्यों -ज्यों संगठन की ताकत बढ़ती गई, हड़ताल धरना आदि का सहारा लिया। 1919 का अधिनियम आने तक काग्रेंस ने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई। 1919 अधिनियम में भारत में संसद का संस्थ के रूप में विकास हुआ जिसमें लोकसभा और राज्यसभा भी, उस समय काग्रेंसं ही सबसे मजबूत दल या जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा था, हांलाकि अन्य दलो का भी अस्तित्व था जिसमें मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, समाजवादी दल।

सन् 1920-21 में जो प्रथम चुनाव हुआ, उसमें काग्रेंस ने भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय उदारवादी संघ के जो नरम पंथी नेता चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचे वही विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। 1923 की दूसरी विधानसभा के लिए हुए चुनाव में स्वराज्य दल विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। 1935 में हुए विधानसभा चुनाव में काग्रेंस परी ताकत के साथ वापस आयी और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई और सरकार को गर्वनर जनरल की शक्तियों का अनेक बार सहारा लेना पड़ा। 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव के बाद काग्रेंस का बहुमत आया जिससे अन्य दलों को महत्व नहीं मिला लेकिन काग्रेस से ही निकले दलों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। प्रथम संसद में संख्या में कम होते हुए भी विपक्ष सतारूढ़ी दल से टक्कर ले सकता था। दूसरे - तीसरे आम चुनाव में नेहरू की स्थिति अधिक शक्तिशाली रही।

भारत में विपक्ष को पहली बार लोकसभा में सन् 1969 को मान्यता दी गई। राम सुभाग सिहं को विपक्ष के नेता के रूप मान्यता मिली जो काग्रेंस संगठन के नेता थे। पाँचवी लोकसभा में विपक्ष की स्थिति कमजोर थी लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के बाद विपक्ष की भूमिका बढी। सांतवी लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं बन पाया किन्तु गुणात्मक दृष्टि से विपक्ष बहुत अच्छा था। आठवीं लोकसभा में भी मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं बन सका लेकिन गिनती में दुर्लभ हुए होते हुए भी विपक्ष ने जों भूमिका निभाई वह काबिले-तारीफ थी।

सरकारी विधेयको का दोनों सदनों में (एक-विधेयक) में जमकर विरोध हुआ। नौवीं लोकसभा में काग्रेंस (आई) सबसे बड़ा दल होते हुए भी विपक्ष बना। राष्ट्रीय मोर्चे की अल्पगत सरकार बनी। राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने और उन्होने अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई। दसवीं लोकसभा में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई। पहले लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता बने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह जिंम्मा संभाला। ग्यारवीं लोकसभा में भारतीय संसद प्रणाली में पहली बार ऐसा हुआ, जब एक विपक्ष के सदस्य पी. संगमा को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया।

12 वीं लाकसभा में भाजपा गठबंधन सरकार में भी और काग्रेंस विपक्ष में थी। शरद पवार विपक्ष के नेता बने। सी. बी. आई. की कार्यशैली "लिब्राहन आयोग" मन्दिर-मस्जिद विवाद पोखण विस्फोट आदि विपक्ष के हथियार थे। 13वीं लोकसभा में भाजपा की सरकार बनी और सोनिया गांधी विपक्ष की नेता बनी। इस लोकसभा में तहलका कांड के कारण सतापक्ष को बुरी तरह घेरा और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। इस कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका सबसे अधिक बायकौट, शोरशराबा और नारे बाजी की रही।

16 वीं लोकसभा चुनाव में एन. डी. ए. को प्रचण्ड बहुमत मिला जिसमें किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विपक्ष के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिली, परन्तु फिर भी गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता रहे और उन्होने सी. बी. आई. की कार्य शैली, राफेल डील आदि मुद्दो पर सरकार को घेरा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1952 से आज तक भारत में विपक्ष की भूमिका बेहतर होती गई। तृतीय विश्य के आजाद हुए देशो में लोकतान्त्रिक संस्थाएँ बुरी तरह फेल हुई परन्तु भारतीय लोकतंत्र दिन प्रतिदिन उन्नत होता जा रहा है जिसके कारण भारत में विपक्ष की भूमिका का सक्रिय का सक्रिय होना, कोई भी लोकतान्त्रिक प्रणाली बिना विपक्ष के अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और न ही नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रख पाएगी लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से विपक्ष के नेता या विपक्ष जो अनैतिक व्यवहार सदन के अन्दर करते हैं वो जरूर एक चिन्ता का विषय है। विपक्ष को सजगता, सर्तकता और नैतिकता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए जिससे संसद की गरिमा बनी रहे और जनता का पैसा और समय दोनों ही बर्बाद न हो।

Corresponding Author

Ashish Kumar*

Ph.D., PGT, GSSS Mohari Bhano Kheri, Ambala

ashashbichpari@gmail.com